कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः–2301 / 1जी–**FP/UK/ROAD/7806/2014** देहरादूनः दिनांकः06 फरवरी, 2016

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 किमी0) के नव निर्माण हेतु 5.868 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव **FP/UK/ROAD/7806/2014**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक–2218 दिनांक 30–01–2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी–**FP/UK/ROAD/ 7806 /2014** तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामःजनपद–जनपद–देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 किमी0) के नव निर्माण हेतु 5.868 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव **FP/UK/ROAD/7806/2014**

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु चकराता वन प्रभाग में 3.635 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 2.233 है0 पंचायत वन भूमि, कुल 5.868 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0 लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः
तिथि : 5/02/2016
स्थान : देहरादून

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून